अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ. 1591(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.04.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 743(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''आप्थालमिक मिशन ट्रस्ट, दृष्टि नेत्रालय, चकालिया रोड, दाहोद, गुजरात-389151'' द्वारा ''ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में अंधता मुक्त जोन के साथ गुणवत्ता वाला आंखों का देखभाल केन्द्र'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 14.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 24 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पषटीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा ''आप्थालमिक मिशन ट्रस्ट, दृष्टि नेत्रालय, चकालिया रोड, दाहोद, गुजरात-389151'' द्वारा चलाई जा रही ''ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में अंधता मुक्त जोन के साथ गुणवत्ता वाला आंखों का देखभाल केन्द्र'' की परियोजना अथवा स्कीम को 3.00 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 14.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूँकि वित्तीय वर्ष 2014-15 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं.162 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ (रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)